MUNICIPAL CORPORATION BHILAI

NIT

66 एम.एल.डी. जलशोधन संयंत्र में क्लोरीन सिलेण्डर प्रदाय (रिफिलींग) कार्य

S.N	Details of item	Unit	Quantity	Rate	Amount
1.	Supply of liquid chlorine in cylinder of 900 kg capacity conformaing to IS: 646-1986 For 12 month (As Required)	Nos	100		

कार्यपालन अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम, भिलाई

सहायक अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम, भिलाई

उप अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई
(जलप्रदाय विभाग)
नियम व शर्तें

कार्य का नाम– 66 एम.एल.डी., जलशोधन संयंत्र में क्लोरिन गैस प्रदाय (रिफलिंग) कार्य ।

1. निविदाकार क्लोरिन गैस निर्माता/अधिकृत एजेंसी एवं पंजीकृत ठेकेदार निविदा में भाग ले सकते हैं।
2. क्लोरिन गैस सिलेन्डर में गैस की मात्रा 900 kg. से कम नही होनी चाहिए।
3. क्लोरिन गैस सिलेन्डर प्रदाय करते समय भरे सिलेन्डर को उतारने, खाली सिलेन्डर को वाहन में रखने का दायित्व प्रदाय कर्त्ता एजेंसी का होगा। जिसके लिए पृथक से कोई राशि निगम द्वारा वहन नहीं की जावेगी।
4. क्लोरिन गैस सिलेन्डर उतारते, चढ़ाते समय कोई भी दुर्घटना घटित होने पर उसकी जिम्मेदारी प्रदायकर्त्ता एजेंसी की होगी।
5. क्लोरिन सिलेन्डर लिकेज के लिए प्रदायकर्त्ता एजेंसी जिम्मेदार होगी अतः सिलेन्डर प्रदाय करने के पूर्व इसका परीक्षण कराया जाना आवश्यक है।
6. क्लोरिन गैस सिलेन्डर आवश्यकतानुसार निर्देश प्राप्त होने पर 24 घण्टे के अन्दर क्लोरिन गैस सिलेन्डर प्रदाय करना होगा।
7. क्लोरिन गैस सिलेन्डर प्रदाय कर्त्ता एजेंसी द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपाय एवं नियमों का पालन किया जावें।
8. क्लोरिन गैस सिलेन्डर प्रदाय के साथ एजेंसी चालान एवं देयक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
9. निगम की निविदाओं से वंचित ठेकेदार/एजेन्सी की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. क्लोरिन गैस प्रदाय एजेंसी को क्लोरिन गैस से सुरक्षा के उपाय हेतु जलकार्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को ट्रेनिंग दिया जाना होगा।
11. निविदाकार समस्त कर सहित निविदा दर प्रस्तुत करेंगें। प्रस्तुत निविदा दर से अतिरिक्त किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा न ही निविदाकार अन्य किसी राशि के भुगतान की मांग कर सकेगा।

12. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

13. यदि समयानुसार सिलेण्डर प्रदाय नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में सिलेण्डर के विकल्प के रूप में ब्लीचिंग पावडर निगम स्वयं के व्यय से क्रय कर ऐजेन्सी के देयक से कटेगी साथ ही समयानुसार सिलेण्डर प्रदाय न करने के लिए प्रतिदिन 2000.00 के हिसाब से दण्ड लगाया जावेगा। इस संबंध में निविदाकार का कोई दावा या आपत्ति मान्य नही होगा। दण्ड की राशि उसके देयक से सीधे काटी जावेगी, इस हेतु निविदाकार बंधनकारी होगा।

14. स्वीकृत निविदा की समय अवधि कार्यादेश जारी तिथी से आगामी 365 दिनों तक रहेगी। आवश्यकतानुसार समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा। क्लोरिन सिलेण्डर की मात्रा नगर निगम भिलाई के कार्यपालन अभियंता अधिकतम 25% तक वृद्धि करने का अधिकार होगा तथा अनुबंधित एजेंसी को अनुबंधित दरों पर ही सिलेण्डर प्रदान करने का बाध्य होगा। यदि सिलेण्डर की मात्रा में 25% से अधिक की वृद्धि की जाती है तो एजेंसी की सहमति पत्र लेकर, कार्यपालन अभियंता सक्षम स्वीकृति उपरांत की वृद्धि कर सकेंगे, किन्तु प्रदायित मात्रा की दर अनुबंध अनुसार ही होगी इसमे कोई भी अतिरिक्त भुगतान एजेंसी को नहीं किया जावेगा।

15. अपूर्ण अथवा त्रुटि पूर्ण निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदाकार द्वारा प्रदत्त दरों पर विचार नहीं किया जावेगा। ऐसी निविदा स्वमेव निरस्त हो जावेगी।

16. किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण अथवा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकार में होगा।

कार्यपालन अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम
भिलाई